

जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 586 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 631/2 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 1624/2 रकबा 0.25 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि बाबुलाल हीरालाल पिता बदनलाल महाजन सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 630 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 1766 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 631/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1624/1 रकबा 0.30 है0, कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.75 है0 भूमि बख्तावरमल रोशनलाल सुवालाल पिता बरदीचन्द विमलकुमार मनोहरलाल उत्तमकुमार पिता सुखलाल वन्दना पुत्री सुखलाल चंदादेवी पत्नि सुखलाल 4/5 पारसमल पिता बरदीचन्द 1/5 महाजन सा.देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
23.02.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-10/2020 (2020/00026) वादपत्र

अनवान

1. बाबुलाल पिता बदनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता बदनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बगतावरमल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास आमेट जिला राजसंमद
2. रोशनलाल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास आंचल साड़ी सेन्टर, पान गली मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
3. सुवालाल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास आमेट जिला राजसंमद
4. पारसमल पिता बरदीचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास महावीर किराणा स्टोर, माहडनाका मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
5. विमलकुमार पिता सुखलाल महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास चिराग मार्बल, माहडनाका मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
6. मनोहरलाल पिता सुखलाल महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास चिराग मार्बल, माहडनाका मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
7. उत्तमकुमार पिता सुखलाल महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास चिराग मार्बल, माहडनाका मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
8. वन्दना पुत्री सुखलाल महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास चिराग मार्बल, माहडनाका मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
9. चन्दादेवी पत्नि सुखलाल महाजन निवासी मोखुन्दा हाल निवास चिराग मार्बल, माहडनाका मु.पो. खेड़ जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 586 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 631/2 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 1624/2 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि बाबुलाल हीरालाल पिता बदनलाल महाजन सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 630 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 1766 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 631/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1624/1 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 भूमि बख्तावरमल रोशनलाल सुवालाल पिता बरदीचन्द विमलकुमार मनोहरलाल उत्तमकुमार पिता सुखलाल वन्दना पुत्री सुखलाल चन्दादेवी पत्नि सुखलाल 4/5 पारसमल पिता बरदीचन्द 1/5 महाजन सा.देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा